राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांक : मुसप्र/2020/748 दिनांक : 19/10/2020

कार्यालय आदेश

नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक प.3(212)/नविवि/3/2011 पार्ट जयपुर दिनांक 23.09.2020 की अनुपालना में कोविड–19 के मध्येनजर राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.3(212)नविवि/3/2011, दिनांक 1 मई, 2020 व 28 जुलाई, 2020 की निरन्तरता में भवन निर्माण स्वीकृति पट्टा/लीज डीड जारी करना, नाम हस्तान्तरण, उप–विभाजन/पुर्नगठन, भू–उपयोग परिवर्तन आदि (नीलामी के प्रकरणों को छोड़कर) हेतु जारी किये गये मांग पत्र के अनुसार राशि जमा कराने की समय सीमा 15 मार्च, 2020 के पश्चात् है, उन प्रकरणों में 31 मार्च, 2021 तक राशि जमा कराने की छूट प्रदान की जाती है।

नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक प.3(212)नविवि/3/2011, दिनांक 1 मई, 2020 के द्वारा राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर–कृषिक प्रयोजन के लिये उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के अन्तर्गत पट्टा विलेख जारी होने की दिनांक से निर्माण की निर्धारित अवधि अथवा उक्त निर्माण अवधि विस्तार 31 दिसम्बर, 2019 तक समाप्त हो गई है एवं राजस्थान नगर सुधार न्यास (नगरीय भूमि निष्पादन) नियम, 1974 के अन्तर्गत आवंटन के प्रकरणों में भवन निर्माण निर्धारित अवधि में नही करने से आवंटन निरस्त हो गया है। ऐसे प्रकरणों में राशि जमा कराने की गणना दिनांक 31 दिसम्बर, 2019 तक कर निर्माण अवधि 31 दिसम्बर, 2020 तक बढाने के साथ ही भवन निर्माण स्वीकृति के अन्तर्गत भवन निर्माण अनुज्ञा स्वतः ही दिनांक 31 दिसम्बर 2020 तक बढी हुई माने जाने का आदेश क्रमांक प.3(1201)नविवि/3/2020 पार्ट दिनांक 1 मई, 2020 जारी किया गया था। उक्त आदेशों की निरन्तरता में निर्माण अवधि व निर्माण अवधि विस्तार 31 मार्च, 2021 तक बढ़ाये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। निर्माण अनुज्ञा स्वतः ही 31 मार्च, 2021 तक बढी हुई मानी जावें।

उक्त आदेश तुरन्त प्रवृत होगा किन्तु पूर्व में निस्तारित प्रकरणों को पुनः नही खोला जावेगा व जमा राशि पुनः नही लौटाई जावेगी।

उक्त आदेश संचालक मण्डल के अनुमोदन की प्रत्याशा में जारी किया जा रहा है।

आवासन आयुक्त

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित है :–

1. निजी सचिव–अध्यक्ष / आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. निजी सचिव / आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3. निजी सचिव–सचिव / वितीय सलाहकार / सचिव, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता–प्रथम / तृतीय, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
5. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता–द्वितीय, राजस्थान आवासन मण्डल, जोधपुर।
6. मुख्य सम्पदा प्रबंधक, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
7. उप आवासन आयुक्त वृत्त–...................., रा0 आ0म0, ... ।
8. आवासीय अभियन्ता खण्ड.................., रा0 आ0म0 .... ।
9. सयुक्त एनालिस्ट (निदेशक), राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि आदेश की प्रति मण्डल की वेबसाईट पर डलवायें व सभी संबंधित उप आवासन आयुक्त / आवासीय अभियन्ता को मेल करें।
10. वरिष्ठ लेखाधिकारी.., रा0आ0म0, जयपुर।
11. सम्पदा प्रबंधक वृत्त...राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
12. प्रभारी नागरिक सेवा केन्द्र, (मु0), राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
13. रक्षित पत्रावली।

मुख्य सम्पदा प्रबंधक